कार्यालय– जिला शिक्षा पदाधिकारी, राँची

शिक्षा विभाग परिसर, पो0–कोर्ट कम्पाउण्ड, राँची–834001, फोन– 2215544,
ईमेल न0– rmsaranchi0651@gmail.com

कार्यालय – आदेश

सरकार द्वारा घोषित अवकाश एवं अन्य सरकारी अवकाश के दिनों में जिसमें विभागीय परीक्षा ली जाती है अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा विशेष परिस्थिति में विद्यालय में कार्य लिया जाता है तथा किसी प्रकार का मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में झारखण्ड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के पत्रांक 25 दिनांक 26.04.2024 द्वारा कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग झारखण्ड के पत्रांक 5163 दिनांक 21.06.2016 के आलोक में मांग किया गया है कि उन तिथियों के बदले अन्य दिनों में क्षतिपूर्ति अवकाश देने की कृपा की जाय।

अतः उपरोक्त तथ्य के आलोक में गहन विचारोपरान्त निदेश दिया जाता है कि ऐसे अवकाश जो सरकार द्वारा घोषित एवं अन्य सार्वजनिक अवकाश की तिथियों में किसी प्रकार का विभागीय परीक्षा ली जाती है जिसके बदले किसी प्रकार का मानदेय का भुगतान शिक्षक एवं कर्मियों का नहीं की जाती है ऐसी स्थिति में उक्त तिथियों के बदले अन्य दिनों में नियमानुसार क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा।

8/5/24

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांक 1284 /राँची, दिनांक 08/05/2024.

प्रतिलिपिः– प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, सभी प्रकार के सरकारी उच्च विद्यालय/+2 उच्च विद्यालय/अनुमण्डल शिक्षा पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/5/24

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
राँची।